भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1884

दिनांक 02.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारस्परिक रूप से रिहा किए गए कैदी

1884. **श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक एक–दूसरे के कैदियों को रिहा किया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक दोनों देशों द्वारा श्रेणी–वार और वर्ष–वार कितने कैदियों को रिहा किया गया है;

(ग) क्या शेष कैदियों को रिहा करने के लिए कोई वार्ता की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया है और यदि हां, तो आज तक हिरासत में रखे गए भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त कैदियों को रिहा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में एक–दूसरे देशों की हिरासत में बंद भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई का वर्ष–वार और श्रेणी–वार ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध है:

वर्ष	भारतीय कैदी		पाकिस्तानी कैदी	
	पाकिस्तान द्वारा जारी मछुआरों की संख्या	पाकिस्तान द्वारा रिहा किये गए नागरिक कैदियों की संख्या	भारत द्वारा जारी मछुआरों की संख्या	भारत द्वारा रिहा किये गये नागरिक कैदियों की संख्या
2021	20	10	15	8

2022	40	5	6	21
2023	478	9	27	35
2024 (आज तक)	शून्य	4	शून्य	4
कुल	538	28	48	68

(ग) भारत–पाकिस्तान के मध्य दिनांक 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित 'कोंसली सहायता संबंधी करार' के अनुसार, दोनों देशों की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान–प्रदान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। मानवीय और आजीविका के आधार पर भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का मामला राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान सरकार के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।

(घ) 1 जुलाई 2024 को आदान–प्रदान की गई सूचियों के अनुसार, पाकिस्तान ने ऐसे 211 मछुआरों और 43 नागरिक कैदियों का उनकी हिरासत में होना स्वीकार किया है, जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने की संभावना है।

(ङ) भारत सरकार, भारतीय कैदियों के कल्याण, सुरक्षा एवं संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय नागरिकों को पकड़े जाने के मामले सामने आते हैं, इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन द्वारा पाकिस्तान सरकार से कोंसली सहायता प्राप्त करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाते हैं। कोंसली सहायता की प्रक्रिया के दौरान, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए उनसे मिलते हैं और उन्हें दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं वितरित करते हैं। भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता सहित हर संभव सहायता प्रदान की जाती है।
